न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 119/2020
GCMS No.- : 2020/00248

–: वादी :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. ढगलाराम पुत्र छोगाराम
2. पांचीया पुत्र राजीया
3. बलदेवा पुत्र राजीया
4. सुखदेवा पुत्र राजीया
5. चन्द्रीया पुत्र राजीया
6. कुनिया पुत्र राजीया
7. बना पुत्र वजा
8. दयालराम पुत्र किशनाराम
9. सन्तोष पुत्री किशनाराम
10. पप्पुडी पुत्री किशनाराम
11. गोटी पुत्री किशनाराम
12. मंजु पुत्री किशनाराम
13. रुकमणी पत्नि किशनाराम
14. शांन्ति पत्नि दयालराम
15. भेरुराम पुत्र दयालराम ना.बा. कुदरति वलि माता शान्ति पत्नि दयालराम।
16. समुडी पुत्री दयालराम
17. भरपाई पुत्री दयालराम
18. पुजा पुत्री दयालराम
19. थैली पुत्री दयालराम
20. करमा पुत्री दयालराम
21. लाली पुत्री दयालराम ना.बा.कुदरति वलि माता शान्ति पत्नि दयालराम।
22. सोपाल पुत्र गिरधारी
23. रतनी पत्नि कालूराम
24. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
25. श्रवण पुत्र चौथा
26. नारायणी पुत्री चौथा
27. [illegible] पुत्री चौथा
28. [illegible] पुत्री चौथा
29. [illegible] पुत्री चौथा
30. [illegible] चौथा
31. [illegible] पत्नि कालू
32. नो[illegible] पुत्री कालू
33. धीरकी पुत्री कालू ना.बा. की वली गणकी पत्नि कालू
34. कानाराम पुत्र लादू
35. भुण्डाराम पुत्री लादू

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

36. मंगीदेवी पुत्री लादू
37. तेजसिंह पुत्र बालकिशन
38. पुरीदेवी पत्नि नारायण
39. करणसिंह पुत्र नारायण
40. मंजूदेवी पुत्री नारायण
41. कमला पुत्री बालकिशन
42. पारकी पुत्री बालकिशन
43. राधादेवी पत्नि बालकिशन कौम गुर्जर साकिन खातेदार खेड.ा।
44. पेमा पुत्र उदा
45. प्रभु पुत्र सुजा
46. बीरम पुत्र सुजा
47. छोटी पुत्री सुजा
48. बाबू पुत्र भारीया
49. रेखा पुत्री भारीया कौम भांबी साकिन खातेदार निवासी खेड.ा
50. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/10/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 17/08/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2376 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 2377 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई है, उक्त खसरे की भूमि में वादी 1/36 हिस्से यानि 0 बीघा 05 बिस्वा 17 भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है, मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 [illegible] की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक [illegible] भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त [illegible] कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डरस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है।जबकि मौके पर वादीएवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनामना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/36 हिस्से यानि 0 बीधा 05 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है। वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतियादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफप्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार चौथा पुत्र नैना(फोत) हो चुके है। जिसके वारिसान निम्न जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा, श्रवण पुत्र चौथा, नारायणी पुत्री चौथा, सुन्दरी, कमली, मतिया, सन्तू पुत्री या चौथा, गणकी पत्नि कालू, नौरती, धीरकी पुत्री या कालू है। जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 24 से 33 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। चौथा पुत्र नैना के और कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार बालकिशन पुत्र बदना (फोत) हो चुके है, जिसके वारिसान निम्न तेजसिंह पुत्र बालकिशन, नारायण पुत्र बालकिशन(फोत) पुसीदेवी पत्नि नारायण, करणसिंह पुत्र नारायण, मंजूदेवी पुत्री नारायण, कमला पुत्री बालकिशन, पारकी पुत्री बालकिशन, राधादेवी पत्नि बालकिशन है। जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 37 से 43 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। बालकिशन पुत्र बदना एव नारायण पुत्र बालकिशन फोत के और कोई विधिक वारिसान नही है। बालकिशन पुत्र बदना फौत हो चुके है। जिनके खसरा न. 2300 मे मुटेशन न 1658 दिनांक 10.06.19 को श्री तेजसिंह पुत्र बालकिशन, पुसीदेवी पत्नि नारायण, करणसिंह पुत्र नारयण, मंजुदेवी पुत्री नारायण, कमला पुत्री [illegible] बालकिशन, राधादेवी पत्नी बालकिशन बतोर उत्तराधिकारी इन्द्राज किया गया [illegible] भूमि में सह खातेदार लादू पुत्र बदना (फोत) हो चुके है, जिसके [illegible] भुण्डाराम, मांगीदेवी पुत्री लादू है, जिनको इस वाद में प्रतिवादी [illegible] 34 से 36 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार सुजा [illegible] बदना (नाऔलाद फोत) हो चुके है। जिसके वारिसान निम्न तेजसिंह गोद सूजा है, जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 37 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार कालू पुत्र बदना(नाऔलाद फौत) हो चुके है। जिसके वारिसान निम्न करणसिंह गोद कालू है। जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 39 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 50 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है। जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.09.2020 को वादीद्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीको उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 50 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा भींवगढ़ सम्वत् 2072–2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2376 व 2377 में वादी के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा भींवगढ पट्वार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2376 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 2377 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1174 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1262 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस [illegible] एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट [illegible] का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में, वादी एवं

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2376 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 2377 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	महावीरप्रसाद पुत्र गौरीशंकर कौम कोली सा. शिवा कोलोनी नगर,अजमेर जिला- अजमेर खातेदार।	2376	0-06	से0 अ0	0.30
2	ढ्गलाराम पुत्र छोगाराम हि.3/35, पांचराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बलदेव पुत्र राजूराम हि.3/175, सुखदेव पुत्र राजुराम हि.3/175, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हि. 3/175, कूनाराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बना पुत्र बजा हि.3/35, दयाल राम पुत्र किशनाराम हि.1/20, संतोष पुत्री किशनाराम हि.1/140, पपुड़ी पुत्री किशनाराम हि.1/140, गोटी पुत्री किशनाराम हि.1/140, मंजु पुत्री किशनाराम हि.1/140, रुकमणी पत्नी किशनाराम हि. 1/140, रतनी पत्नी कालूराम 3/35, ना. बा. भेरूराम पुत्र दयालराम हि.3/560, समुड़ी पुत्री दयालराम हि.3/560, भरपाई पुत्री दयालराम हि.3/560, पुजा पुत्री दयालराम हि.3/560, थेली पुत्री दयालराम हि.3/560, करमा पुत्री दयालराम हि. 3/560, लाली पुत्री दयालराम हि.3/560, शांति पत्नि दयालराम हि.3/560, सोपाल पुत्र गिरधारी हि.3/70, जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथाराम हि.9/490, श्रवणराम पुत्र चौथाराम हि.9/490, नारायणी पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुन्दरी पुत्री चौथाराम हि.9/490, कमली पुत्री चौथाराम हि. 9/490, संतु पुत्री चौथाराम हि.9/490, मतिया पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुजाराम पुत्र बदना हि.9/280, कालूराम पुत्र वदना हि.9/280, कानाराम पुत्र लादूराम हि. 3/280, भुण्डाराम पुत्र लादूराम हि.3/280, परमादेवी पुत्री लादूराम हि.3/280, तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.9/1400, राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.9/1400, पारखी पुत्री बालकिशन हि.9/1400, कमला पुत्री बालकिशन हि.9/1400, पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.3/1400, करणसिंह पुत्र नारायण हि.3/1400, मंजुदेवी पुत्री नारयण हि.3/1400 कौम गुर्जर सा.खेड़ा, पेमाराम पुत्र उदाराम हि.3/35 प्रभुराम पुत्र सुजाराम हि.1/35, वीरम पुत्र सुजा हि.1/35, छोगी पुत्री सुजा हि.1/35, बाबू पुत्र भारूराम हि. 1/35, रेखा पुत्री भारू हि.1/35 कौम भाम्बी सा0 देह खातेदार।	2376/1	3-13	से0 अ0	3.60
3	ढ्गलाराम पुत्र छोगाराम हि.3/35, पांचराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बलदेव पुत्र राजूराम हि.3/175, सुखदेव पुत्र राजुराम हि.3/175, कूनाराम पुत्र राजूराम हि. 3/175, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हि.3/175, बना पुत्र बजा हि.3/35, दयाल राम पुत्र किशनाराम हि.1/20, संतोष पुत्री किशनाराम हि.1/140, पपुड़ी पुत्री	2377	[illegible]-12	सेवज अव्वल	6.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	किशनाराम हि.1/140, गोटी पुत्री किशनाराम हि.1/140, मंजु पुत्री किशनाराम हि.1/140, रुकमणी पत्नी किशनाराम हि. 1/140, प्रहलाद गोदपुत्र बालूराम हि. 3/35, ना0 भेरूराम पुत्र दयालराम हि. 3/560, समुडी पुत्री दयालराम हि.3/560, भरपाई पुत्री दयालराम हि.3/560, पुजा पुत्री दयालराम हि.3/560, थेली पुत्री दयालराम हि.3/560, करमा पुत्री दयालराम हि.3/560, लाली पुत्री दयालराम हि. 3/560, शांति पत्नि दयालराम हि.3/560, सोपाल पुत्र गिरधारी हि.3/70, जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथाराम हि.9/490, श्रवणराम पुत्र चौथाराम हि.9/490, नारायणी पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुन्दरी पुत्री चौथाराम हि.9/490, कमली पुत्री चौथाराम हि. 9/490, संतु पुत्री चौथाराम हि.9/490, मतिया पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुजाराम पुत्र बदना हि.9/280, कालूराम पुत्र बदना हि.9/280, कानाराम पुत्र लादूराम हि. 3/280, भुण्डाराम पुत्र लादूराम हि.3/280, परमादेवी पुत्री लादूराम हि.3/280, तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.9/1400, राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.9/1400, पारखी पुत्री बालकिशन हि.9/1400, कमला पुत्री बालकिशन हि.9/1400, पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.3/ 1400, करणसिंह पुत्र नारायण हि.3/1400, मंजुदेवी पुत्री नारायण हि.3/1400 कौम गुर्जर सा.खेड़ा, पेमाराम पुत्र उदाराम हि.3/35 प्रभुराम पुत्र सुजाराम हि.1/35, वीरम पुत्र सुजा हि. 1/35, छोटी पुत्री सुजा हि.1/35, बाबू पुत्र भारूराम हि.1/35, रेखा पुत्री भारू हि. 1/35 कौम भाम्बी सा देह खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/08/2021 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति कोली, निवासी शिवा कालोनी नगरा अजमेर जिला अजमेर।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. छगलाराम पुत्र छोगाराम
2. पांचीया पुत्र राजीया
3. बलदेवा पुत्र राजीया
4. सुखदेवा पुत्र राजीया
5. चन्द्रीया पुत्र राजीया
6. कुनिया पुत्र राजीया
7. बना पुत्र वजा
8. दयालराम पुत्र किशनाराम
9. सन्तोष पुत्री किशनाराम
10. पप्पुडी पुत्री किशनाराम
11. गोटी पुत्री किशनाराम
12. मंजु पुत्री किशनाराम
13. रुकमणी पत्नि किशनाराम
14. शांन्ति पत्नि दयालराम
15. भेरूराम पुत्र दयालराम ना.बा.कुदरति वलि माता शान्ति पत्नि दयालराम।
16. समुडी पुत्री दयालराम
17. भरपाई पुत्री दयालराम
18. पुजा पुत्री दयालराम
19. थैली पुत्री दयालराम
20. करमा पुत्री दयालराम
21. लाली पुत्री दयालराम ना.बा.कुदरति वलि माता शान्ति पत्नि दयालराम।
22. सोपाल पुत्र गिरधारी
23. रतनी पत्नि कालूराम
24. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
25. श्रवण पुत्र चौथा
26. नारायणी पुत्री चौथा
27. सुन्दरी पुत्री चौथा
28. कमली पुत्री चौथा
29. मतिया पुत्री चौथा
30. सन्तु पुत्री चौथा
31. गणकी पत्नि कालू
32. नो... कालू
33. ध... पु... कालू ना.बा. की वली ... गणकी ... कालू
34. ... पुत्र लादू
35. भुण्डा... पुत्री लादू
36. मंगीदेवी पुत्री लादू
37. तेजसिंह पुत्र बालकिशन
38. पुसीदेवी पत्नि नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

39. करणसिंह पुत्र नारायण
40. मंजूदेवी पुत्री नारायण
41. कमला पुत्री बालकिशन
42. पारकी पुत्री बालकिशन
43. राधादेवी पत्नि बालकिशन कौम गुर्जर साकिन खातेदार खेड.ा।
44. पेमा पुत्र उदा
45. प्रभु पुत्र सुजा
46. बीरम पुत्र सुजा
47. छोटी पुत्री सुजा
48. बाबू पुत्र भारीया
49. रेखा पुत्री भारीया कौम भांबी साकिन खातेदार निवासी खेड.ा
50. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 119/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2376 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 2377 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	महावीरप्रसाद पुत्र गौरीशंकर कौम कोली सा. शिवा कोलोनी नगर,अजमेर जिला– अजमेर खातेदार।	2376	0–06	से0 अ0	0.30
2	ढ्गलाराम पुत्र छोगाराम हि.3/35, पांचराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बलदेव पुत्र राजूराम हि.3/175, सुखदेव पुत्र राजुराम हि.3/175, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हि. 3/175, कूनाराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बना पुत्र बजा हि.3/35, दयाल राम पुत्र किशनाराम हि.1/20, संतोष पुत्री किशनाराम हि.1/140, पपुड़ी पुत्री किशनाराम हि.1/140, गोटी पुत्री किशनाराम हि.1/140, मंजु पुत्री किशनाराम हि.1/140, रूकमणी पत्नी किशनाराम हि. 1/140, रतनी पत्नी कालूराम 3/35, ना बा. भेरूराम पुत्र दयालराम हि.3/560, समुड.ी पुत्री दयालराम हि.3/560, भरपाई पुत्री दयालराम हि.3/560, पुजा पुत्री दयालराम हि.3/560, थेली पुत्री दयालराम हि.3/560, करमा पुत्री दयालराम हि. 3/560, लाली पुत्री दयालराम हि.3/560,	2376/1	3–13	से0 अ0	3.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	शांति पत्नि दयालराम हि.3/560, सोपाल पुत्र गिरधारी हि.3/70, जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथाराम हि.9/490, श्रवणराम पुत्र चौथाराम हि.9/490, नारायणी पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुन्दरी पुत्री चौथाराम हि.9/490, कमली पुत्री चौथाराम हि. 9/490, संतु पुत्री चौथाराम हि.9/490, मतिया पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुजाराम पुत्र बदना हि.9/280, कालूराम पुत्र बदना हि.9/280, कानाराम पुत्र लादूराम हि. 3/280, भुण्डाराम पुत्र लादूराम हि.3/280, परमादेवी पुत्री लादूराम हि.3/280, तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.9/1400, राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.9/1400, पारखी पुत्री बालकिशन हि.9/1400, कमला पुत्री बालकिशन हि.9/1400, पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.3/1400, करणसिंह पुत्र नारायण हि.3/1400, मंजुदेवी पुत्री नारयण हि.3/1400 कौम गुर्जर सा.खेड़ा, पेमाराम पुत्र उदाराम हि.3/35 प्रभुराम पुत्र सुजाराम हि.1/35, वीरम पुत्र सुजा हि.1/35, छोटी पुत्री सुजा हि.1/35, बाबू पुत्र भारूराम हि. 1/35, रेखा पुत्री भारू हि.1/35 कौम भाम्बी सा0 देह खातेदार।				
3	ढगलाराम पुत्र छोगाराम हि.3/35, पांचराम पुत्र राजूराम हि.3/175, बलदेव पुत्र राजूराम हि.3/175, सुखदेव पुत्र राजुराम हि.3/175, कूनाराम पुत्र राजूराम हि. 3/175, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हि.3/175, बना पुत्र बजा हि.3/35, दयाल राम पुत्र किशनाराम हि.1/20, संतोष पुत्री किशनाराम हि.1/140, पपुड़ी पुत्री किशनाराम हि.1/140, गोटी पुत्री किशनाराम हि.1/140, मंजु पुत्री किशनाराम हि.1/140, रुकमणी पत्नी किशनाराम हि. 1/140, प्रहलाद गोदपुत्र बालूराम हि. 3/35, ना0 भेरूराम पुत्र दयालराम हि. 3/560, समुड़ी पुत्री दयालराम हि.3/560, भरपाई पुत्री दयालराम हि.3/560, पुजा पुत्री दयालराम हि.3/560, थेली पुत्री दयालराम हि.3/560, करमा पुत्री दयालराम हि.3/560, लाली पुत्री दयालराम हि. 3/560, शांति पत्नि दयालराम हि.3/560, सोपाल पुत्र गिरधारी हि.3/70, जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथाराम हि.9/490, श्रवणराम पुत्र चौथाराम हि.9/490, नारायणी पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुन्दरी पुत्री चौथाराम हि.9/490, कमली पुत्री चौथाराम हि. 9/490, संतु पुत्री चौथाराम हि.9/490, सुजाराम मतिया पुत्री चौथाराम हि.9/490, कालूराम पुत्र बदना पुत्र बदना हि.9/280, कानाराम पुत्र लादूराम हि.9/280, भुण्डाराम पुत्र लादूराम हि.3/280, 3/280, परमादेवी पुत्री लादूराम हि.3/280, तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.9/1400, राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.9/1400, पारखी पुत्री बालकिशन हि.9/1400, कमला पुत्री बालकिशन हि.9/1400, पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.3/ 1400, करणसिंह पुत्र नारायण हि.3/1400, मंजुदेवी पुत्री नारायण हि.3/1400 कौम गुर्जर सा.खेड़ा,	2377	6–12	सेवज अव्वल	6.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	पेमाराम पुत्र उदाराम हि.3/35 प्रभुराम पुत्र सुजाराम हि.1/35, वीरम पुत्र सुजा हि. 1/35, छोटी पुत्री सुजा हि.1/35, बाबू पुत्र भारूराम हि.1/35, रेखा पुत्री भारू हि. 1/35 कौम भाम्बी सा देह खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/08/2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	-
महनताना वकील	02-00
खर्चा गवाहान	-
फीस कमीश्नर	-
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मिजानः-	06-00

मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
मिजानः-	-Nil-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested